

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक / स्था.2 / सी / स्थाना / युक्ति.युक्ति. / 84 / 10 / 2079

भोपाल दिनांक 9-12-2010

// आदेश //


संचालनालय लोक शिक्षण के ओदशक्रमांक स्था-2/राज/सी/व्या.यु.यु.क / जबलपुर / 66/05/1209-10 दिनांक 20.9.2005 के सरल क्रमांक-11पर अंकित श्री पी.एस.चौहान व्याख्याता (भौतिक शास्त्र)शास.उ.मा.वि.शहपुरा जबलपुर की पदस्थापना शास.क.उ.मा.वि.बरगी जिला जबलपुर की गई थी । एतद् द्वारा श्री चौहान की उक्त पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुये श्री चौहान को शास.क.उ.मा.वि.शहपुरा जिला जबलपुर मे विषयमान (भौतिक शास्त्र) के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है ।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 9-12-2010

पृष्ठाक्रमांक / स्था.2 / सी / स्थाना. / युक्ति.युक्ति. / 84 / 10 / 2080
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, /राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. ।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर म.प्र.
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित सस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्राप्त हो आती है तो आदेश को मालूम करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होना। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित सस्था प्राचार्य की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. संबंधित की ओर सूचनाएं एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.